



CHETANA

International Journal of Education

Impact Factor
SJIF 2021 - 6.169

Peer Reviewed/
Refereed Journal

ISSN-Print-2231-3613
Online-2455-8729



Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Received on 25th Jan. 2022, Revised on 24th Feb. 2022, Accepted 28th Mar. 2022

शोध—आलेख

शिक्षक शिक्षा एवं नई शिक्षा नीति 2020

* डॉ राकेश कुमार, प्राचार्य

श्री मोहनी देवी गोयनका महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज.)

E-Mail- rkbudania@gmail.com, Mob- 9414540868

मुख्य शब्द— शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, शिक्षण, विद्या आदि।

सारांश

शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि अनेकों गुण समाविष्ट हैं। शिक्षा इस प्रकार कौशलों (skills), व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौन्दर्यविषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षा, समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है।

शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की 'शिक्ष्' धातु में 'अ' प्रत्यय लगाने से बना है। 'शिक्ष्' का अर्थ है सीखना और सिखाना। 'शिक्षा' शब्द का अर्थ हुआ सीखने-सिखाने की क्रिया।

जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण-प्रतिक्षण नए-नए अनुभव प्राप्त करता है व करवाता है, जिससे उसका दिन-प्रतिदिन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना-सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखना-सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों (विद्यालय, महाविद्यालय) में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है।

परिचय

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति (भारत में 1986 में नवीन शिक्षा नीति नाम से एक शिक्षा नीति लागू की गयी। इस नीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढाँचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10 + 2 + 3 की संरचना को अपनाया। के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएँ संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

- शिक्षा के सारतत्त्व व उसकी भूमिका के बारे में नीति में कहा गया है कि शिक्षा सबके लिए आवश्यक है, शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका है, शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए अपने आय में एक अद्वितीय निवेश है।
- समानता के लिए शिक्षा: महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा वंचित समूह को समान अवसर उपलब्ध करवाना।
- शिक्षकों की शिक्षा, कार्य-प्रणाली, जिम्मेदारी, वेतन आदि सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार की आवश्यकता।
- तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को महत्त्व देना।

पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉ॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था। कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पे आधारित 1968 में पहली बार महत्त्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्री काल में पारित हुआ था।

अगस्त 1985 'शिक्षा की चुनौती' नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों (बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि) ने अपनी शिक्षा सम्बन्धी टिप्पणियाँ दीं और 1986 में भारत सरकार ने 'नई शिक्षा नीति 1986' का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढाँचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10 + 2 + 3 की संरचना को अपनाया। इसे राजीव गांधी के प्रधानमन्त्रीत्व में जारी किया गया था।

प्रमुख परिवर्तन

इस नई नीति (नई शिक्षा नीति 2020) में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः "शिक्षा मंत्रालय" करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा (कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है जो इस समय 4.43% है। एम. फिल. को समाप्त किया जायेगा। अब अनुसंधान में जाने के लिये तीन साल के स्नातक डिग्री के बाद एक साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है।

नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। पहले 'समूह' के अनुसार विषय चुने जाते थे, किन्तु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और पांचवें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है

स्कूलों में 10 +2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और कक्षा दो सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा एक से शुरू होती थी वहीं अब तीन साल के प्री-प्राइमरी के बाद कक्षा एक शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 3-5 के तीन साल शामिल हैं। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा। चौथा स्टेज (कक्षा 9 से 12वीं तक का) 4 साल का होगा। पहले जहां 11वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, वही अब 9वीं कक्षा से रहेगी।

शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से पांचवीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जायेगा। इसमें रट्टा विद्या को खत्म करने की भी कोशिश की गई है जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिये दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। नई नीति में पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष पे छोड़ने पे डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष पे छोड़ने पे डिग्री देने का प्रावधान है।

नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। इसके लिए ढेर सारे प्रायोगिक, ई-लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक के इस्तेमाल के साथ शिक्षण संस्थाओं को साधन संपन्न बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस नीति में शिक्षकों के

अत्याधुनिक तकनीक के साथ प्रशिक्षण, उन्हें विभिन्न दूरस्थ शिक्षा उपकरणों पर काम करने, ई-लर्निंग के नए पाठ्यक्रम तैयार करने, स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा और एक से अधिक भाषा के ज्ञान के लिए सॉफ्टवेयर के प्रयोग के सतत प्रशिक्षण की बात की गई है।

इस नीति के तहत की जाने वाली तमाम कवायदों से स्पष्ट है कि अब दूरस्थ अंचलों तक भवन बनाने, उसमें शिक्षक व अन्य स्टाफ की नियुक्ति करने, वे सही समय पर पहुंच रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी करने जैसे खर्चीले काम के बनिस्पत सरकार हर हाथ में स्मार्टफोन या टैबलेट देना चाहती है, ताकि दूर बैठा एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा सके और उनकी परीक्षा भी ले सके। इस नीति के मूल में शिक्षक को बदलती दुनिया के मुताबिक प्रशिक्षित करने पर बहुत अधिक और समयबद्ध जोर दिया गया है। स्कूलों में शिक्षकों के लिए ऐसे उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे सीखने-सिखाने के तरीकों का ई-सामग्री के साथ सामंजस्य बैठा सकें और ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा-तकनीक का उचित इस्तेमाल सुनिश्चित कर सकें।

ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण, मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं व दीक्षा आदि को इस तरह विस्तारित किया जाएगा, ताकि शिक्षकों को शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल समृद्ध माध्यम मिल सके। इसके साथ ही बच्चों को डिजिटल साक्षरता, जिज्ञासा, सृजनशीलता, पहल और सामाजिक कौशलों की आवश्यकता आदि के बारे में विस्तार से बताया जा सकेगा। हालांकि यह भी सच है कि स्कूल में बच्चों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल शिक्षा के रास्ते में बाधक माना जाता है, परिवार भी बच्चों को अनचाहे तरीके से कड़ी निगरानी के बीच स्मार्टफोन थमाते हैं। वास्तविकता यह है कि सस्ते डाटा के साथ हाथों में बढ रहे स्मार्टफोन का सही तरीके से इस्तेमाल खुद को शिक्षक कहने वालों के लिए एक खतरा सरीखा है।

भारत में शिक्षा का अधिकार व कई अन्य कानूनों के जरिये बच्चों के स्कूलों में पंजीयन का आंकड़ा और साक्षरता दर में वृद्धि निश्चित ही उत्साहवर्धक है, लेकिन जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आती है तो यह आंकड़ा हमें शर्मिंदे को मजबूर करता है कि हमारे यहां आज भी लगभग 10 लाख शिक्षकों की कमी है। जो शिक्षक हैं भी, उनमें से अधिकांश केवल पाठ्यक्रम को पढ़ाने को ही अपनी झूठी समझते हैं। कुछ इक्का-दुक्का नवाचार की बात करते हैं तो उन्हें सिस्टम का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। आज स्कूली बच्चे को मिड-डे मील लेना हो या फिर बजीफा, हर जगह डिजिटल साक्षरता की जरूरत महसूस हो रही है।

हम पुस्तकों में पढ़ाते हैं कि गाय रंभाती है या शेर दहाड़ता है। कोई भी शिक्षक यह सब स्मार्टफोन या टैबलेट पर सहजता से बच्चों को दिखा कर अपने पाठ को कम शब्दों में सहजता से समझा सकता है। किसी दृश्य को चित्र या वीडियो के रूप में सुरक्षित रखना कला के साथ-साथ सतर्कता का भी पाठ है। एक मोटा अनुमान है कि अभी हमें ऐसे करीब साढ़े छह लाख शिक्षक चाहिए जो सूचना-विस्फोट के युग में तेजी से किशोर हो रहे बच्चों में शिक्षा की उदासी व उबासी दूर कर, नए तरीके से, नई दुनिया की समझ विकसित करने में सहायक हों। इस तरह के नए माध्यम में एक शिक्षक की सृजनात्मक अभिरुचि, सकारात्मक दृष्टिकोण और बाल मन को परखने की क्षमता व्यापक रूप से असर कर सकती है।

प्रमुख शब्द

उचित आचरण (Good Moral) - 'अच्छे' एवं 'बुरे' इरादों, निर्णयों एवं कार्यों में अंतर करना सदाचार (Morality) कहलाता है। हिंदी में 'मोरैलिटी' के लिए 'नैतिकता' शब्द का भी प्रयोग किया जाता है किंतु सदाचार इसके लिए अधिक उपयुक्त शब्द है।

समाज (society) एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक वृहद समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। समाज लोगों का ऐसा समूह होता है

जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों से काफी कम मेलजोल रखता है। किसी समाज के आने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह तथा सहृदयता का भाव रखते हैं। दुनिया के सभी समाज अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए अलग-अलग रस्मों-रिवाजों का पालन करते हैं।

व्यक्तित्व (personality) आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय है। व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वकथन भी किया जा सकता है।

सामाजीकरण (Socialization) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति-रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी सामाजीकरण के माध्यम से ही होता है। सामाजीकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात् करता है।

'शिक्षा' शब्द का अर्थ हुआ सीखने-सिखाने की क्रिया।

शिक्षा नीति (Education policy) -शिक्षा प्रणाली को नियन्त्रित करने वाले सभी सिद्धान्तों एवं नियम-कानूनों के समुच्चय को शिक्षा नीति (Education policy) कहा जाता है।

संदर्भ

1. शिक्षण - मरिअम वेबस्टर ऑनलाइन शब्दकोश Archived 25 अप्रैल 2009 at the वेबैक मशीन. से परिभाषा
2. Rohatgi, Anubha, संपा० (2020-08-07). "Highlights | NEP will play role in reducing gap between research and education in India: PM Modi". *Hindustan Times*.
3. "New Education Policy 2020 : 5वीं तक पढाई अब मातृभाषा में, स्नातक तक प्रवेश की एक परीक्षा". *अमर उजाला*. अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020.
4. "नई शिक्षा नीति". *नवभारत टाइम्स*. अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020.
5. "नई शिक्षा नीति: पढाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बड़े बदलाव". *आज तक*. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
6. "नई शिक्षा नीति: पढाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बड़े बदलाव". *आज तक*. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
7. सिंह, प्रोफेसर दिनेश (29 जुलाई 2020). "स्कूली और उच्च शिक्षा की बेड़ियां खोलेगी नई शिक्षा नीति". *द क्विंट*.
8. सिंह, सरोज (30 जुलाई 2020). "नई शिक्षा नीति 2020: सिर्फ आरएसएस का एजेंडा या आम लोगों की बात भी"
9. NEP 2020: Student, Teacher Bodies Call The New Education Policy 'Anti-democratic'

* Corresponding Author

डॉ रakesh कुमार, प्राचार्य

श्री मोहनी देवी गोयनका महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज.)

E-Mail- rkbudania@gmail.com, Mob- 9414540868